

# MUNJAL SHOWA LIMITED

Registered Office & Works : 9-11, Maruti Industrial Area, Sector - 18, Gurugram - 122 015 (Haryana) INDIA

E-mail : msladmin@munjalshowa.net Website : www.munjalshowa.net

Corporate Identity Number : L34101HR1985PLC020934, [REDACTED]

Phone : 0124-4783000 Fax : 0124-2341359

July 29, 2025

The D.G.M. (Listing)  
Corporate Relation Department  
BSE Ltd.  
Phiroze Jeejeebhoy Towers  
Dalal Street  
Mumbai-400 001  
Security Code: 520043

The Asst. Vice President  
Listing Department  
National Stock Exchange of India Limited  
Exchange Plaza, Plot No. C/1,  
G Block, Bandra-Kurla Complex  
Bandra (E), Mumbai - 400 051  
Security Code: MUNJALSHOW

**Sub: Disclosure under SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015**

**Re: Submission of Newspaper Advertisement**

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 47 and other applicable provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations 2015, please find enclosed herewith the copy of Newspaper advertisement published in newspapers viz. "Mint" in English language and "Hindustan" in Hindi Language on July 29, 2025 regarding the Notice of 40<sup>th</sup> Annual general Meeting, e-Voting Information and Book Closure.

Kindly take the aforesaid information on your records.

Thanking you,

Yours sincerely,

**For MUNJAL SHOWA LIMITED**

*Neha Bansal*  
(Neha Bansal)

Company Secretary & Compliance Officer

Membership No.: A38848



Encl: as above



---



# ब्रिटेन के साथ भारत का कृषि निर्यात तीन साल में 50% तक बढ़ेगा



**नई दिल्ली, विशेष संवाददाता।** ब्रिटेन के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) से अगले तीन वर्षों में भारत के कृषि निर्यात ( ब्रिटेन को ) में 50 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी होने का अनुमान है। समझौते के तहत 95 प्रतिशत से अधिक शुल्क खत्म होने से किसानों को सीधे तौर पर कृषि उत्पादों को निर्यात करने का अवसर मिलेगा। इसके लिए सरकार निर्यात के क्षेत्र में काम करने वाले किसान उत्पादक

संगठन ( एफपीओ ) का विस्तार करेगी, जिसमें किसानों की सहभागिता होगी। मौजूदा समय में देश में काफी एफपीओ सक्रिय हैं। सरकार इनकी संख्या बढ़ाने की तैयारी में है ताकि किसान इनके माध्यम से ब्रिटेन समेत अन्य देशों में अपने कृषि उत्पादों को उचित मूल्य बेच पाएं। वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारी कहते हैं कि भारत के कई कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क शून्य हुआ है। इसका फायदा इन उत्पादों से जुड़े किसानों को होगा। एपीडा को फल, सब्जियां, मसाले और दालों के निर्यात में 2030 तक 50 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है, जिससे निर्यात मूल्य में 1 से 1.5 अरब अमेरिकी डॉलर का अतिरिक्त योगदान होगा।



इन कृषि उत्पादों के निर्यात पर आयात शुल्क हुआ शून्य			
उत्पाद	वर्तमान प्रतिशत	सोईटीए के तहत शुल्क	शून्य
ताजे अमूर	8	शून्य	
ताजे प्याज	4.5	शून्य	
प्राकृतिक शहद	16	शून्य	
केले	6	95 पाउंड प्रति टन शुल्क हटाया	
मीठे बिरिचट खाद्य पदार्थ	4.50	शून्य	
मेवा और कई बीजों के मिश्रम	5.0	शून्य	
	3.60	शून्य	

### कुटीर उद्योगों को प्रतिस्पर्धा का अवसर

खाद्य प्रसंस्करण, पैकेजिंग और मूल्यवर्धित कृषि उत्पाद ( जैसे मेमो पल्प, अचार, सॉस, बिरकुट ) अब वितयमान और पेरू जैसे शुल्क मुक्त आपूर्तिकर्ताओं के साथ मूल्य पर प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे। इससे ब्रिटेन की खुदरा श्रृंखलाओं, खाद्य सेवा बाजारी और एथनिक सेगमेंट में उनकी उपस्थिति मजबूत होगी।

### जेनेरिक दवा क्षेत्र को राहत दी गई

समझौते में पेटेंट अवधि बढ़ाने या डेटा की विशिष्टता को अनिवार्य नहीं किया गया है। इस कदम से भारत के घरेलू जेनेरिक दवा उद्योग के हितों को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी। ब्रिटेन ने इसकी मांग की थी, जिसे स्वीकारा नहीं गया। देश का जेनेरिक दवा उद्योग 25 अरब डॉलर का है।

### देश के कई राज्यों को मिलेगा व्यापक लाभ

महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यूपी और पंजाब के प्रमुख कृषि-निर्यात वलस्ट्रों को बड़ी हुई मांग से लाभ होगा। इससे एफपीओ, पैकहाउस, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों और लॉजिस्टिक्स में ग्रामीण रोजगार के अवसर पैदा होंगे, जिससे आर्थिक विकास को गति मिलेगी।

### एक अगस्त से 20 फ़ीसदी तक आधार शुल्क लगाएंगे : ट्रंप

वाशिंगटन, एंजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि जिन देशों ने अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को अंतिम रूप नहीं दिया है, उन पर एक अगस्त से 15 से 20 फीसदी तक आधार शुल्क लगाया जाएगा। यह दर अप्रैल में लगाए गए 10 प्रतिशत शुल्क से कहीं अधिक है। जल्द ही 200 देशों को इस नर 'विश्व शुल्क' की जानकारी दी जाएगी। अमेरिका द्वारा गई छूट की समयसीमा एक अगस्त को समाप्त हो रही है। वहीं, भारत अंतरिम समझौते पर वार्ता कर रहा है।

# लगातार तीन सत्रों से गिरावट का सिलसिला जारी भारी बिकवाली से बाजार दो माह के निचले स्तर पर

## असर

**नई दिल्ली, एंजेंसी।** भारतीय शेयर बाजारों में सोमवार को लगातार तीसरे कारोबारी सत्र में भारी गिरावट आई। बीएसई सेंसेक्स जहां 572 अंक लुढ़क गया, वहीं निफ्टी 156 अंक के नुकसान में रहा। इस गिरावट के साथ ही बाजार दो महीने के निचले स्तर पर फिसल चुका है। इसके साथ निवेशकों को तीन दिन के भीतर 12 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। बाजार विश्लेषकों के अनुसार, भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर जारी अनिश्चितता और विदेशी निवेशकों की भारी बिकवाली के चलते यह तेज गिरावट देखी जा रही है। निवेशक सतर्कता बरत रहे हैं। बीएसई सेंसेक्स सोमवार को 572.07 अंक की गिरावट के साथ 80,891.02 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 686.65 अंक तक लुढ़क गया था।

वहीं, निफ्टी 156.10 अंक की गिरावट के साथ 24,680.90 अंक पर बंद हुआ। पिछले तीन सत्रों में हुई बिकवाली ने सेंसेक्स को 1,950



### मुनाफावसूली के प्रमुख कारण

- भारत-अमेरिका व्यापार समझौते में देरी
- फहली तिमाही के कमजोर नतीजे
- विदेशी निवेशकों की निरंतर पूंजी निकासी
- डॉलर के मुकाबले रुपये में गिरावट जारी

### ₹12 लाख करोड़ डूबे

बाजार में जारी तेज गिरावट से निवेशकों को तीन दिन में 12 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। सिर्फ सोमवार को बाजार में लगभग चार लाख करोड़ रुपये डूब गए। बीएसई पर सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार पूंजीकरण घटकर 448 लाख करोड़ रुपये पर आ गया है।

अंक या 2.4 फीसदी तक गिरा दिया है, जबकि निफ्टी 50 में 2.3 फीसदी की गिरावट आई है।

**इन क्षेत्रों पर अधिक दबाव :** मझौली और छोटी कंपनियों पर दबाव ज्यादा रहा। एफएमसीजी, फार्मा और

विदेशी संरथागत निवेशकों की लगातार बिकवाली से घरेलू शेयर बाजारों पर दबाव बढ़ गया है। इन निवेशकों ने सोमवार को भारतीय बाजार में 5,876.76 करोड़ रुपये के शेयर बेचे थे। पिछले हफ्ते नकद बाजार में एफआईआई ने 13,552 करोड़ रुपये की बिकवाली की थी।

# सेवा में सुधार जारी रखे बीएसएनएल : सिंधिया

**नई दिल्ली, विशेष संवाददाता।** केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोमवार को कहा कि बीएसएनएल को अपनी सेवा गुणवत्ता में निरंतर सुधार की प्रक्रिया को जारी रखना चाहिए। उन्होंने कहा, अगर सेवा की गुणवत्ता सुधारेंगे तो ग्राहक स्वयं आएंगे।

बीएसएनएल की वर्ष 2025-26 की रणनीति समीक्षा एवं योजना बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि डिजिटल इंडिया और मजबूत सार्वजनिक क्षेत्रीय टेलीकॉम



कंपनी के सपने को साकार करने के लिए गुणवत्तापूर्ण सेवा जरूरी है। मंत्री ने कहा, उपभोक्ता के विश्वास को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जाए। कंपनी ने 18 वर्षों में पहली लगातार दो तिमाहियों में मुनाफा दर्ज किया है।

## स्टारलंक के 20 लाख ग्राहक ही होंगे

**नई दिल्ली, एंजेंसी।** दूसरंचार राज्यमंत्री पेम्मासांनी चंद्रशेखर ने सोमवार को कहा कि उपग्रह संचार सेवा प्रदाता कंपनी स्टारलंक भारत में केवल 20 लाख कनेक्शन दे सकती है। ऐसे में देश की दूसरंचार कंपनियों को कोई जोखिम नहीं है।

यहां एक बैठक में दूसरंचार राज्यमंत्री पेम्मासांनी ने कहा, स्टारलंक 200 एमबीपीएस तक की गति प्रदान कर सकती है। इससे अन्य दूसरंचार सेवाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा, सैटकॉम सेवाओं का लक्ष्य ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों को बनाया जाएगा।

# टीसीएस छंटनी मामले पर आईटी मंत्रालय की नजर

**नई दिल्ली, एंजेंसी।** सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने देश की सबसे बड़ी आईटी सेवा कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) में 12,000 से अधिक कर्मचारियों की छंटनी किए जाने की घोषणा के बाद स्थिति पर करबी निगाह रखी हुई है। आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मंत्रालय लगातार कंपनी के संपर्क में है। मंत्रालय इस घटनाक्रम को लेकर चिंतित है और इस फैसले के पीछे की

असली वजह को समझने के लिए इसकी पड़ताल करेगा। सरकार का यह रुख इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि टीसीएस ने इस साल 12,261 कर्मचारियों की छंटनी करने की घोषणा की है जो उसके कुल वैश्विक कार्कर्वल का दो प्रतिशत है। इस बीच, आईटी कर्मचारियों के संगठन ने केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया को पत्र लिखकर टीसीएस प्रबंधन से स्पष्टीकरण मांगने का अनुरोध किया है।

# अंगुली के निशान और चेहरे की पहचान से ऑनलाइन भुगतान कर सकेंगे

## सुविधा


**नई दिल्ली, एंजेंसी।** अपने बैंक खाते से ऑनलाइन भुगतान करने के लिए अब ओटीपी बंद तैजार नहीं करना होगा। फेडरल बैंक ने देश में पहली बार ऐसी सुविधा शुरू की है, जिसमें ग्राहक सिर्फ अपने चेहरे की पहचान या अंगुलियों के निशान से भुगतान कर पाएंगे। माना जा रहा है कि अन्य बैंक भी इस सुविधा को लागू कर सकते हैं।

यह तकनीक आरबीआई के सुझा निदेशों के तहत लाई गई है। इसमें बायोमैट्रिक और मोबाइल

उपकरण की पहचान से दोहरा सत्यापन प्रक्रिया पूरी होगी। इस प्रक्रिया में ग्राहकों का डाटा पूरी तरह से गोपनीय और सुरक्षित रहता है। इसके इस्तेमाल से ग्राहकों को तुरंत भुगतान करने में आसानी होगी।

गौरतलब है कि अभी ग्राहकों को ओटीपी का इस्तेमाल करना पड़ता था, जो उनके मोबाइल पर एसएमएस के जरिए आता था। हालांकि, इस प्रक्रिया में कई बार देरी हो जाती है, जिससे भुगतान रुक जाता है।

# अपना बिजनेस



## सोना ₹500 टूट, चांदी में भी गिरावट

**नई दिल्ली, एंजेंसी।** राष्ट्रीय राजधानी के सरफा बाजार में सोने की कीमतों में लगातार चौथे सत्र में गिरावट आई और यह 500 रुपये टूटकर 98,020 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गई।

वहीं, चांदी भी 1000 रुपये रुपये घटकर 1,13,000 रुपये प्रति किलोग्राम ( सभी करों सहित ) पर बंद हुआ है। विश्लेषकों का कहना है कि मांग में गिरावट से कीमतों में नरमी आ रही है।

## डिजिटल लेनदेन में 10% का उछाल

**नई दिल्ली, एंजेंसी।** देश में इस साल मार्च तक डिजिटल भुगतान में सालाना आधार पर 10.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ऑनलाइन लेनदेन को मापने वाले आरबीआई के सूचकांक से यह जानकारी मिली है।

मार्च 2025 में यह सूचकांक 493.22 के स्तर पर पहुंच गया, जबकि सितंबर 2024 में यह 465.33 और मार्च 2024 में 445.5 था।

**इंडियामार्ट इंटरमेश लिमिटेड**

**सीआईएन:** L74899DL1999PLC0101534

**पंजी. कार्यालय:** पहली मंजिल, 29- दरियागंज, नेताजी सुभाष मार्ग, नई दिल्ली-110002

**कार्पोरेट कार्यालय:** छठी मंजिल, टॉवर 2, एसेल्टेक बिजनेस सेंटर, प्लॉट नंबर-22, सेक्टर-135, नोएडा-201305, उ.प्र.

**वेबसाइट:** [www.indiamart.com](http://www.indiamart.com); **ईमेल:** [cs@indiamart.com](mailto:cs@indiamart.com); **फोन नंबर:** 011-45608941

**पोस्टल बैलेट और रिमोट ई-वोटिंग नोटिस की सूचना**

एतद्द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 108, 110 और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 (नियम) के नियम 20 और 22, भारतीय प्रतियुक्ति एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यत्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 (सूचीबद्धता विनियम) के विनियम 44, सामान्य बैलेटों पर संचाल्यो मानक-2 (एसएस-2) और अधिनियम, विन्यामों, विनियमों, परिपत्रों और अधिव्यवस्थाओं (वर्तमान में लागू किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनर्अधिनियमन सहित) के अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, मैं, **इंडियामार्ट इंटरमेश लिमिटेड (कंपनी)** के शेयरधारकों से निवेदित किए गए संलग्न प्रस्तावों पर संचालन /विशेष संस्करण के माध्यम से अनुमोदन प्राप्त करने हेतु रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग (रिमोट ई-वोटिंग) के माध्यम से मतदान करने के लिए पोस्टल बैलेट का उपयोग के माध्यम से **नोटिस** दिया जाता है।

5 मई, 2020 के सामान्य परिपत्र संख्या 20 / 2020 के अनुपालन में, समय-समय पर जारी किए गए बाद के परिपत्रों के सहपठित, नवीनतम सामान्य परिपत्र संख्या 09 / 2024 दिनांक 19 सितंबर, 2024, जो कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एग्जीक्यूटिव) के माध्यम से जारी किया गया है (एतद्द्वारा सामूहिक रूप से **(पंजीयन परिपत्र)** के रूप में संदर्भित) और भारतीय प्रतियुक्ति और विनियम बोर्ड **(संघी)** द्वारा जारी की गई परिपत्र, यह पोस्टल बैलेट नोटिस **(नोटिस)** व्याख्यात्मक विवरण के साथ **सोमवार, 28 जुलाई, 2025** को इलेक्ट्रॉनिक मॉड के माध्यम से उन सदस्यों को भेजा दिया गया है, जिनके नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में या नेशनल डिजिटल इंडियाजिंटिटी लिमिटेड (एनएसडीएल) / सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा बनाए गए लाभार्थी मालिकों के रजिस्टर पर शुक्रवार, 25 जुलाई, 2025 (कट-ऑफ तारीख) तक दिखाई देते हैं और जिनके ई-मेल आईडी कंपनी / एम्प्लोएज्जी इन्टरड्रम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (जिसे पहले लिंक इन्टरड्रम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था), रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) / डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स (डीपी) के पास पंजीकृत है।

यह सूचना कंपनी वेबसाइट: <https://investor.indiamart.com/ForthcomingPostalBallot.aspx>, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट यानी बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com), नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) और नेशनल सिनक्रोसिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) पर उपलब्ध है।

समय-समय पर संशोधित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 20 के सहपठित अधिनियम की धारा 108 के प्रावधानों और लिस्टिंग नियमों एवं एसएस-2 के विनियमन 44 के अनुसार, कंपनी अपने सदस्यों को एक्ससीडीएल की ई-वोटिंग सेवाओं के माध्यम से रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान कर रही है, ताकि वे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पोस्टल बैलेट के माध्यम से पारित किए जाने वाले सभी प्रस्तावों पर अपने मतार्थिकाएं का प्रयोग कर सकें। इस संबंध में, सदस्यों को सुचित किया जाता है कि:

- रिमोट ई-वोटिंग की अवधि शुक्रवार, 31 जुलाई, 2025 को प्रातः 09:00 बजे (भारतीय मानक समय) से शुरू होगी और शुक्रवार, 29 अगस्त, 2025 को सांयः 05:00 बजे (भारतीय मानक समय) तक समाप्त होगी। सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे वितरण के लिए प्राप्त होने हेतु शुक्रवार, 29 अगस्त, 2025 को सांयः 05:00 बजे (भारतीय मानक समय) से पहले रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डालें, अन्यथा वह माना जाएगा कि कोई वोट प्राप्त नहीं हुआ है। इससे बाद एक्ससीडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग में मौजूद वोटों को मतदान के लिए अक्षम कर दिया जाएगा। एक बार सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर वोट डाल दिए जाने के बाद, ऐसे सदस्यों को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं होगी।
- कोई व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि, अर्थात् शुक्रवार, 25 जुलाई, 2025 को डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स रजिस्टर या लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज व्यक्ति के रूप में दर्ज है केवल वह ही रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने का हकदार होगा।
- रिमोट ई-वोटिंग के लिए सदस्यों के मतदान अधिकार कट-ऑफ तिथि को कंपनी की बुकला डिविडेंडी शेयर पूंजी में उनके शेयरों के अनुपात में होंगे। कोई भी व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि को डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स रजिस्टर या लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, केवल रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने का हकदार होगा। कोई भी व्यक्ति जो कट-ऑफ तिथि तक सदस्य नहीं है, उसे इस सूचना को केवल सूचना के उद्देश्य से लेना चाहिए।
- इस अवधि के दौरान, शेयरधारक सदस्य केवल रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपनी सहमति या अशहमति व्यक्त करने अपना वोट डाल सकते हैं।
- रिमोट ई-वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया और विधि सूचना में दी गई है।
- जिन सदस्यों के ईमेल आईडी पहले से ही कंपनी / आरटीए / डीपी के पास पंजीकृत हैं, वे सूचना में दिए गए रिमोट ई-वोटिंग के निर्देशों का पालन कर सकते हैं।
- यदि सदस्यों ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सभी संचार प्राप्त करने के लिए अपना ईमेल पता और मोबाइल नंबर पंजीकृत / अपडेट नहीं किया है और / या अपने बैंक खाते के अधिकार और केवाईडी को पंजीकृत / अपडेट नहीं किया है, तो कृपया उस डीपी को पता अपना विवरण पंजीकृत / अपडेट करें, जहाँ उनके संबंधित डीमेट खाते हैं। ईमेल आईडी के सफल पंजीकरण के बाद, रिमोट ई-वोटिंग के लिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड सदस्य की पंजीकृत ईमेल आईडी पर साझा किया जाएगा।
- वैकल्पिक रूप से, सदस्य सूचना में उल्लिखित दस्तावेज प्रदान करते रिमोट ई-वोटिंग के लिए उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) पर अनुबंध भेज सकते हैं।
- रिमोट ई-वोटिंग से संबंधित किसी भी प्रश्न को लिए, आप <https://www.evoting.nsdl.com> के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अवरस पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका देख सकते हैं या 022 - 4886 7000 पर कॉल कर सकते हैं या [evoting@nsdl.com](mailto:evoting@nsdl.com) पर अनुबंध भेज सकते हैं।
- श्री देशेश कुमार वशिष्ठ (सदस्यता संख्या एक0488), प्रबंध मानीदर, उनकी अनुपस्थिति पर श्री परवीन कुमार (सदस्यता संख्या एक10315), मेसर्स सीबीआई एंड एसोसिएट्स एलएलपी की मानीदर, कंपनी सचिव (पूर्ण पंजीकरण संख्या: एल2021डी0009500) को कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा रिमोट बैलेट और रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया को निष्पाद और पारदर्शी तरीके से संचालित करने के लिए संबीक्षक नियुक्त किया गया है। पोस्टल बैलेट के परिणाम मंगलवार, 2 सितंबर, 2025 को या उससे पहले घोषित किए जाएंगे और उन्हें, सबीक्षक की रिपोर्ट के साथ, कंपनी की वेबसाइट <https://investor.indiamart.com/ForthcomingPostalBallot.aspx>, एनएसडीएल की वेबसाइट [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) पर प्रदर्शित किया जाएगा और बीएसई लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को सुचित किया जाएगा।

स्थान: नोएडा  
दिनांक: 28 जुलाई, 2025

कृते इंडियामार्ट इंटरमेश लिमिटेड  
हस्ता/ मोह  
मनीष भार्गव  
कंपनी सचिव

**मुंजाल शोवा लिमिटेड**

**सीआईएन:** L34101HR1985PLC020934

**पंजीकृत कार्यालय एवं वरर्स:** 9–11, मारुति इंडस्ट्रियल एरिया, सेक्टर 18, गुरुग्राम-122015 (हरियाणा); **फोन:** +91-124-4783000; **ई-मेल:** [cs@munjalshowa.net](mailto:cs@munjalshowa.net)

**वेबसाइट:** [www.munjalshowa.net](http://www.munjalshowa.net)

## वार्षिक आम बैठक की सूचना, ई-वोटिंग की जानकारी तथा पुस्तक बन्दी

एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि **मुंजाल शोवा लिमिटेड** (कम्पनी) के सदस्यों की **40वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम)** बुधवार, **20 अगस्त, 2025** को **11:00 बजे पूर्वाह्न (भारतीय मानक समय)** वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल मींस **(ओएवीएम)** के माध्यम से एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट सामान्य एवं विशेष व्यवसाय को सम्पन्न हेतु आयोजित की जाएगी।

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 14 / 2020 दिनांकित 8 अप्रैल, 2020, 17 / 2020 दिनांकित 13 अप्रैल, 2020, 20 / 2020 दिनांकित 5 मई, 2020 तथा इस संबंध में इसके अनुसूची परिपत्रों, नवीनतम सामान्य परिपत्र संख्या 09 / 2023 दिनांकित 25 सितम्बर, 2023 है जो उपरोक्त परिपत्रों में प्रदान की गई रूपरेखा को 30 सितम्बर, 2024 तक बढ़ाने के संबंध में है (एम्सीए परिपत्र), एवं भारतीय प्रतियुक्ति और विनियम बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/ CMD1/ CIR/P/2020/79 दिनांकित 12 मई, 2020, परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 दिनांकित 15 जनवरी, 2021, परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/ CMD2/CIR/P/2022/62 दिनांकित 13 मई, 2022, परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/ PoD-2/P/ CIR/2023/4 दिनांकित 05 जनवरी, 2023, परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/ CIR/2023/167 दिनांकित 7 अक्टूबर, 2023 (संबंधी परिपत्र) एवं अधिनियमों के प्रावधानों तथा सभी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 (सूचीबद्धता विनियम) के अनुपालन में, कम्पनी की 40वीं एजीएम बुधवार, 20 अगस्त, 2025 11:00 बजे पूर्वाह्न (भारतीय मानक समय) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) /अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित और संचालित की जा रही है, जिसके लिए सदस्यों की एक सामान्य स्थल पर भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है। अतः सदस्य वीसी /ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं एवं वीसी /ओएवीएम के माध्यम से सदस्यों की उपस्थिति को कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 103 के अंतर्गत कोरम की गणना के उद्देश्य से संगणित किया जाएगा।

वीसी /ओएवीएम के माध्यम से बैठक में शामिल होने की प्रक्रिया एजीएम की सूचना में दी गई है। वार्षिक रिपोर्ट एवं सूचना केवल उन शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेजे जा रहे हैं जिनके ईमेल पते कम्पनी अथवा उनके संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास पंजीकृत हैं। ईमेल के माध्यम से एजीएम एवं वार्षिक रिपोर्ट 2024–25 के प्रेषण का काल 28 जुलाई, 2025 को पूरा हो गया है। ये दस्तावेज कम्पनी की वेबसाइट [www.munjalshowa.net](http://www.munjalshowa.net), स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात् बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) तथा सीडीएसएल की वेबसाइट [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) पर भी उपलब्ध है।

कट-ऑफ तिथि अर्थात् बुधवार, 13 अगस्त, 2025 तक भौतिक तौर पर या डीमैटेरियलाइज्ड तौर पर शेयर रखने वाले सदस्य, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट व्यवसाय के सभी मटी पर एजीएम स्थल के अलावा किसी अन्य जगह से अपना वोट (रिमोट ई-वोटिंग) डाल सकते हैं। सदस्यों को आगे सूचित किया जाता है कि:

क) एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट सामान्य एवं विशेष व्यवसायों का सम्पन्न इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा वोटिंग से किया जा सकता है।

ख) रिमोट ई-वोटिंग रविवार, 17 अगस्त, 2025 को 9:00 बजे पूर्वाह्न (भारतीय मानक समय) से आरम्भ होगी।

ग) रिमोट ई-वोटिंग मंगलवार, 19 अगस्त, 2025 को 5:00 बजे अपराह्न (भारतीय मानक समय) पर समाप्त होगी।

घ) इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अथवा एजीएम में मतदान करने की पात्रता निर्धारित करने हेतु कट-ऑफ तिथि बुधवार, 13 अगस्त, 2025 है।

ड) कोई भी व्यक्ति जो वार्षिक रिपोर्ट तथा एजीएम की सूचना के प्रेषण के पश्चात् शेयरों का अधिग्रहण करता है तथा कम्पनी का सदस्य बनता है एवं कट-ऑफ तिथि अर्थात् बुधवार, 13 अगस्त, 2025 तक शेयरों की प्रतिष्ठा करता है, वह [helpdesk.evoting@cdsindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdsindia.com) पर एक अनुबंध मेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि, यदि कोई व्यक्ति पहले से ही ई-वोटिंग हेतु सीडीएसएल के साथ पंजीकृत है, तो मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग किया जा सकता है।

च) सदस्य वोट कर सकते हैं कि: (i) रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को उपरोक्त बिंदु 'ग' में उल्लिखित तिथि और समय के उपरान्त मतदान हेतु निष्क्रिय कर दिया जाएगया (ii) किसी जगह द्वारा प्रस्ताव पर एक बार वोट दिए जाने के पश्चात्, सदस्य को तत्पश्चात् इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगीय (iii) इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान की सुविधा एजीएम में उपलब्ध कराई जाएगीय (iv) जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल दिया है, वे भी एजीएम में सम्मिलित हो सकते हैं, परन्तु बैठक में पुनः अपना वोट डालने हेतु अधिकृत नहीं होंगये तथा (v) यह व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में अथवा डिपॉजिटरी द्वारा अनुरक्षित लाभार्थियों के रजिस्टर में कट-ऑफ तिथि के अनुसार दर्ज हो, केवल वही रिमोट ई-वोटिंग अथवा एजीएम में वोटिंग की सुविधा प्राप्त करने हेतु अधिकृत होगा।

छ) भौतिक तौर पर अथवा डीमैटेरियलाइज्ड तौर पर शेयर रखने वाले एवं जिन्होंने अपना ईमेल पता कम्पनी / डिपॉजिटरी प्रतिभागी के साथ पंजीकृत नहीं कराया है, हेतु रिमोट ई-वोटिंग तथा एजीएम में वोटिंग की प्रणाली एजीएम की सूचना में दी गई है तथा कम्पनी की वेबसाइट [www.munjalshowa.net](http://www.munjalshowa.net) पर उपलब्ध है।

ज) भौतिक तौर पर शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे रजिस्ट्रार व शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) को फोनियो संख्या को निवेदन सहित पैन कार्ड की एक स्क-सत्यापित प्रति संलग्न कर [helpdesk@omcsregistrars.com](mailto:helpdesk@omcsregistrars.com) पर अनुरोध लिखकर अपना ईमेल पता पंजीकृत करायें। डीमैटेरियलाइज्ड तौर पर शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ ईमेल आईडी रजिस्टर /अपडेट करायें।

झ) लाभार्थ अधिदेश को पंजीकृत करने का तरीका एजीएम की सूचना में प्रदान किया गया है।

ञ) ई-वोटिंग के